144

संख्या 1229 / XLI-1 / 13–124 / 2009

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
प्राविधिक शिक्षा विभाग,
श्रीनगर(गढ़वाल)।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग। देहरादूनः दिनांक 9 दिसम्बर 2013

विषयः– प्राविधिक शिक्षा हेतु वित्तीय वर्ष 2013–2014 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कौशल विकास समिति, देहरादून के पत्र संख्या–10 / यू0एस0डी0एम0 / बजट / 2013, दिनांक 04.07.2013 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 284 / XXVII(1) / 2013 दिनांक 30 मार्च,2013 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में स्किल डेवलपमैंट योजना के समयबद्ध रूप से संचालन एवं कियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में प्राविधिक शिक्षा विभाग के अनुदान संख्या–11 के अधीन अवचनबद्ध मदों में संलग्न परिशिष्ट में उल्लिखित विवरणानुसार आयोजनागत पक्ष में रू0. 40.00लाख (रूपयें चालीस लाख मात्र) की धनराशि अधोउल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुये व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2– उक्त धनराशि का आहरण कर नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड स्किल डेवलपमैन्ट सोसाईटी, कैम्पस–आई0टी0आई0(महिला), सर्वेचौक, देहरादून को हस्तान्तरित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

3– अवचनबद्ध मदों के अन्तर्गत उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि का कदापि व्यय नहीं किय जायेगा।

4– व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों / पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यों हेतु पूरे वर्ष के सम्भावित व्यय की फेजिंग कर कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त करायेंगें तथा लक्ष्य के अनुसार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा / अनुश्रवण किया जाना अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा।

5– किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकारी प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6– यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7— अनुदानों को विभागवार एवं विभागाध्यक्षवार तैयार करने के कारण एक ही लेखाशीर्षक अनेक अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है, जिसके फलस्वरूप महालेखाकार के कार्यालय में व्यय को सही लेखाशीर्षक/अनुदान के अन्तर्गत पुस्तांकित करने में कठिनाई होती है और सुसंगत लेखाशीर्षक/अनुदान के अधीन त्रुटि रह जाने की सम्भावना बनी रहती है। इस हेतु आवश्यक है कि सभी वित्तीय स्वीकृतियॉ शासनादेश संख्या बी—2—2337/97 दिनांक 21 नवम्बर, 1997 के प्रारूप में सही लेखाशीर्षक इंगित करते हुये ही निर्गत की जाय, जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जाये।

8— बजट नियंत्रक अधिकारी बी.एम—17 पर आवंटन सम्बन्धी विवरण तथा आवंटन आदेश हेतु निर्धारित प्रारूप पर आहरण—वितरण अधिकारियों को बजट आवंटन तथा जिस अधिकारी का नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागारों में परिचालित हो, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर की धनराशियां पूर्व निर्गत शासनादेशों के कम में जारी किया जाय अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिये सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

9— विभाग में स्वीकृतियों एवं उसके सापेक्ष व्यय का रजिस्टर रखा जाय एंवं प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय सम्बन्धी सूचना शासनादेशों की प्रतियां सहित वित्त एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

10— बजट मैनुअल पैरा—88 में इंगित किया गया है कि नियंत्रक अधिकारी या विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो इस बात को सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होंगे कि वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी मामलें में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के संज्ञान में लाया जाय। बी.एम—13 पर नियमित रूप से सूचना विलम्बतः 15 तारीख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध करायी जाय। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना समय से भेजा जाना सुनश्चित किया जाय।

11— स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल चालू स्वीकृति योजनाओं पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों के कार्यान्वयन हेतु नही किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/ शासनादेशों के तहत ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

12— आयोजनागत पक्ष में स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

13— स्वीकृत की जा रही है धनराशि का उपयेागिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

14— जिन मदों में वित्तीय वर्ष 2013—14 में आय—व्ययक के माध्यम से स्वीकृत बजट के सापेक्ष धनराशि निर्गत नहीं की गयी है, उन मदों में आवश्यकता के दृष्टिगत संबंधित योजना के संबंधित मानक मद मे वांछित धनराशि का पृथक—2 औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय।

उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 284/XXVII (1)/2013, दिनांक 30 मार्च, 2013 के कम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड ऑबेरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2 आयुक्त गढवाल एवं कुमाऊँ मण्डल उत्तराखण्ड।
3 निदेशक, प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
4 नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड स्किल डेवलपमैन्ट सोसाईटी,कैम्पस–आई0टी0आई0 (महिला), ई0सी0रोड, सर्वेचौक देहरूदन।
5 सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कौशल विकास समिति, देहरादून
6 जिलाधिकारी, पौडी / देहरूदन।
7 निदेशक कोषागार एंव वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
8 वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौडी / देहरादून।
9 वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
10 नियोजन अनुभाग उत्तराखण्ड शासन।
11 राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर देहरादून
12 बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्याः–220/XLI-1/13–124/2009 दिनांक 1 ~~अक्टूबर~~ दिसम्बर 2013 का परिशिष्ट

राजस्व लेखा अनुदान संख्याः–11 (धनराशि रूपये हजार में)

लेखाशीर्षक/मानक मद		स्वीकृत धनराशि
2203–	तकनीकी शिक्षा	
800–	अन्य व्यय	
04–	स्किल डेवलपमैन्ट योजना	
00–	आयोजनागत	
16–	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2000
42–	अन्य व्यय	2000
	योग	4000

(रूपया चालीस लाख मात्र)

(एस0एस0टोलिया)
अनुसचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20132014

Secretary, Technical Education (S051)

आवंटन पत्र संख्या - 1220/XLI-1/13-124/2009

अलोटमेंट आई डी - S1312110093

अनुदान संख्या - 011

आवंटन पत्र दिनांक -09-Dec-2013

HOD Name - Director Technical Education (4110)

1: लेखा शीर्षक

2203 - तकनीकी शिक्षा
800 - अन्य व्यय
00 - स्किल डेवलपमेंट योजना

00 -
04 - स्किल डेवलपमेंट योजना

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	0	2000000	2000000
42 - अन्य प्रभार	0	2000000	2000000
	0	4000000	4000000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 4000000